मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 28.10.2022

वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 06 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की कार, नाजायज असलहा व चाकू बरामद -

थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 27.10.2022 को वादी राज कुमार सखाराम गवाई पुत्र सखाराम लक्ष्मन गवाई निवासी गली नम्बर 8 सिडको थाना सिड़को जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र द्वारा अंकुर ढ़ाबा के पास से वाहन चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-204/2022 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी गये वाहन की यथाशीघ्र बरामदगी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक अहरौरा को निर्देश दिये गये थे । उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः 28.10.2022को प्रभारी निरीक्षक अहरौरा के नेतृत्व में उ0नि0 दिलीप कुमार व उ0नि0 गिरेन्द्र कुमार राय मय पुलिस बल द्वारा विभिन्न स्थानों से कार की चोरी करने वाले 06 अभियुक्त 1-पुरूषोत्म मिश्रा , 2.शशि रंजन पाण्डे, 3.किरन देवी, 4.मेराज हासमी उर्फ सोनू, 5.प्रियांशु सिंह व 6. मोनू सोनकर को थाना अहरौरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे चोरी की कार, 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद कारतुस व दो अदद अवैध चाकु बरामद किया गया । अहरौरा पुलिस द्वारा उपरोक्त गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का अर्टिका कार चोरी के सम्बन्ध में धारा 379,411,412,120बी भादवि व उनके कब्जे से बरामद नाजायज असलहा व चाकू के सम्बन्ध में आयुध अधि0 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में चालान करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पुछताछ-

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र से कार बुक कराकर वाराणसी ले जाने के नाम पर चले थे तथा रास्ते में अपने अन्य साथियों के सहयोग से मौका पाकर अंकुर ढ़ाबा से वाहन को चुराकर बिहार भागने का प्रयास किये थे । इस तरह के चोरी के वाहनों को हम लोग अपराध करने में प्रयोग करते है । अपने गिरोह में एक महिला को भी रखते हैं ताकि वाहन चुराकर ले जाते समय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान किसी को कोई शक ना हो ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1- पुरूषोत्म मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा निवासी मिश्रकर्मा थाना तरारी जिला भोजपुर (बिहार) उम्र करीब 30 वर्ष ।

2- शशिरंजन उर्फ कन्हैया पाण्डेय पुत्र दुधेश्वर निवासी मिश्रकर्मा थाना तरारी जिला भोजपुर (बिहार) उम्र करीब 30 वर्ष ।

3- किरन देवी पत्नी सुबोध याधव निवासिनी मौला बाद थाना मौला बाद जनपद भोजपुर (बिहार) उम्र करीब 40 वर्ष ।

4- मेराज हाशमी उर्फ सोनू पुत्र नसीर अहमद निवासी भूसामण्डी थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष ।

5- प्रियांशु सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी नाथलाला रसड़ा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष ।

6- मोनू सोनकर पुत्र बिद्दन सोनकर निवासी पम्पा खोखरा थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0- 204/2022 धारा 379,411भादवि थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर (बनाम समस्त 06 अभियुक्त) ।

मु0अ0सं0- 205/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम , थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर (बनाम मेराज हासमी) ।

मु0अ0सं0- 206/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम , थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर (बनाम प्रियांशु सिंह) ।

मु0अ0सं0- 207/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम , थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर (बनाम मोनू सोनकर) ।

विवरण बरामदगी —

01 अर्टीका कार (कीमत करीब 12 लाख रू0) ,

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद कारतूस 315 बोर ।

02 अदद अवैध चाकू ।

01 अदद मोटर साइकिल UP. 64 AA. 5487 ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह थाना अहरौरा मय टीम ।

उ0नि0 राजेश जी चौबे सर्विलांस/स्वाट प्रभारी मय टीम ।

निरी0 सत्येन्द्र यादव प्रभारी एसओजी प्रभारी मय टीम ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹15 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।